(a) what are the main technology transfers in the fertilizers industries during 1988;

(b) what is the total amount spent on the import of the technologies;

(c) whether any of these technologies was part of a foreign collaboration; and

(d) if so, what are the details of direct transfers and those through foreign collaborations?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) and (b). Although no technology transfer has taken place during 1988, the following amounts have been paid for the import of technology by M/s. Nagarjune Fertilizers and Chemicals Ltd., for their naphtha based ammonia/urea plant at Kakinada:

(*i*) Dkr. . .	4,562,033.75
(*ii*) US $ . .	60,000
(*iii*) DM . .	4,420,045

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

राजस्थान को खाद्य तेलों का आवंटन

2604. श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान राजस्थान को कितनी बार कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आवंटन किया गया और राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप में कितनी मात्रा में खाद्य तेलों को उठाया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन माह-दर-माह आधार पर किया जाता है । वर्ष 1988 के दौरान राजस्थान को खाद्य तेलों की 19880 मी० टन मात्रा आवंटित की गई थी, जिसके प्रति राज्य द्वारा खाद्य तेलों की 9405 मी० टन मात्रा उठाई गई थी जिसके आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(मात्रा मी० टन में)

	आवंटन	उठाई गई मात्रा
जनवरी, 88	4500	2950
फरवरी, 88 .	3000	1881
मार्च, 88 .	1500	1586
अप्रैल, 88 .	1230	1063
मई, 88 .	1250	338
जून, 88 .	1250	315
जुलाई, 88 .	1250	663
अगस्त, 88 .	1500	285
सितम्बर, 88 .	1500	20
अक्तूबर, 88 .	1500	74
नवम्बर, 88 .	1000	30
दिसम्बर, 88 .	400	200
	19880	9405

सरकारी राशन की दुकानों पर दोषयुक्त तराजू

2605. श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सरकारी राशन की दुकानों पर दोषयुक्त तराजू होने और दुकानदारों द्वारा जान बूझकर कम मात्रा में सामान तोलने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नार्थ एवैन्यू स्थित राशन की दुकान में ही एक अन्य दुकान सब्जी की होने से पर्याप्त जगह नहीं है तथा सामान तोलने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क)

दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि 1-1-1989 से 28-2-1989 की अवधि के दौरान 18 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें उचित दर दुकानदारों पर कम तोलने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली प्रशासन द्वारा ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है तथा दोषी पाए गए उचित दर-दुकानदारों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

(ख) और (ग) एक उचित दर-दुकान, दुकान सं० 3, नार्थ एवेन्यू में चल रही है। उचित दर-दुकान इलाके के लोगों की सुविधा के लिए दुकान के एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल सब्जी बेचने के लिए कर रहा है। दिल्ली प्रशासन ने आगे बताया है कि विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं के भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तथा उन्हें तोलने के लिए उपयुक्त व्यवस्था मौजूद है।

संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर

2606. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में संसद सदस्यों से प्राप्त कितने पत्र 3 महीने, 3-6 महीने, 6-9 महीने, 9-12 महीने और एक वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) इनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं तथा इन पत्रों के शीघ्र उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उर्वरक डीलरशिप

2607. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में जिलावार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कितनी-कितनी उर्वरक डीलरशिप दी गयी ; और

(ख) सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार का कितना कोटा निश्चित किया है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी गयी थी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए 25 प्रतिशत की उर्वरक डीलरशिप का आरक्षण किया जाए।

Number of factories closed during 1988-89

2608. SHRI PRITHIBI MAJHI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of factories closed, state-wise during 1988-89 till date; and

(b) the number of mandays lost during the above period?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) Based on the latest available information, a statement giving state-wise number of industrial units closed during 1988 is attached. (*See* below).

(b) The number of mandays lost due to strikes and lockouts was 29.30 million during January—November, 1988.